भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3242** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **05 अगस्त**, 2022/14 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है

समुद्री विश्वविद्यालय

†3242. डॉ. डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस. :

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी राज्यों में स्थापित समुद्री विश्वविद्यालयों की प्रत्यक्ष रूप से निगरानी कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पोत-परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऐसे और विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समुद्री विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले छात्रों को प्लेसमेंट मिल गया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समुद्री क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश में ऐसे समुद्री समूहों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): केवल दो समुद्री विश्वविद्यालय हैं, नामत: (i) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (एक आईएमयू अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके चेन्नै, कोलकाता, नवी मुंबई, मुंबई पत्तन, कोच्चि, विशाखापट्टणम स्थित 06 परिसर हैं); तथा समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमी (एएमईटी) विश्वविद्यालय {मानित (समुद्री) विश्वविद्यालय} चेन्नै, तमिलनाडु हैं।

नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस), उपर्युक्त समुद्री विश्वविद्यालयों की मानीटरिंग कर रहा है।

(ख): इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

(ग): जी, नहीं। ऐसे और विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): जी, हां। समुद्री महाविद्यालयों से स्नातक कर चुके अनेक छात्रों को प्लेसमेंट मिली है। स्वीकृत समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्नातक हुए एवं शिप बोर्ड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ). जी, नहीं। वर्ष 2014-2019 की अवधि के दौरान भारतीय एवं विदेशी पंजीकरण वाले दोनों प्रकार के जलयानों पर भारतीय नाविकों के नियोजन में लगातार वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 और 2021 में नाविकों के रोजगार में मामूली कमी आई है। रोजगार के अवसरों की यह मामूली कमी उन नाविकों के मामले में थी, जो क्रूज पोतों पर कार्य कर रहे थे क्योंकि विश्वभर में कोविड-19 महामारी के कारण क्रूज क्षेत्र प्रचालन में नहीं था। वर्ष 2014-2021 की अवधि के दौरान, भारतीय/विदेशी पंजीकरण वाले जलयानों पर नियोजित नाविकों के रोजगार का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(च): जी, हां। सरकार ने देश में तटरेखाओं के आस-पास आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समुद्री क्लस्टरों की पहचान की है। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

गोवा में पोत निर्माण/ पोत मरम्मत क्षमता की पहचान की गई थी। तद्नुसार, गोवा में ऐसे उद्योगों के प्रतिनिधियों को क्लस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि वे अपने संसाधनों का साझा उपयोग करते हुए सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकें। तद्नुसार, गोवा में एमएसएमई के सदस्यों द्वारा कोंकण समुद्री क्लस्टर की स्थापना की गई है।

अनुबंध-।

स्वीकृत समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्नातक हुए एवं शिप बोर्ड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण

[शिप बोर्ड प्रशिक्षण (एसबीटी): सभी प्री-सी उम्मीदवारों के लिए के डिग्री/डिप्लोमा को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात शिपबोर्ड प्रशिक्षण करना अनिवार्य है ताकि वे दक्षता प्रमाण पत्र के मूल्यांकन हेतु पात्र हो सकें]

		2019		2020		2021		2022	
क्र.स	पाठ्यक्रम का ना	दाखिल किए उम्मीदवारों व सं.	उन उम्मीदवारों सं. जिन्हें एस टी/ प्लेस मेंट दी ई	दाखिल किए ग उम्मीदवारों की .	उन उम्मीदवा की सं. जिन्हें सबीटी/प्लेसमें दी गई	दाखिल कि गए उम्म वारों की सं.	उन उम्मीदवारों सं. जिन्हें एस टी/प्लेसमेंट दी ग.	दाखिल किए ग उम्मीदवारों की	उन उम्मीदवारों व सं. जिन्हें एसब टी/प्लेसमेंट दी ग
1	बीई/बी-टेक मैरीन जीनियरिंग	1822	**1401**	1489	**1002**	1356	**593**	1279	0
2	बी.एससी समुद्री ि ज्ञान	1281	**983**	1339	**895**	1319	**500**	187	0
3	स्नातक मैरीन जीनियरिंग	1529	**1062**	565	**494**	1311	**747**	1130	**53**

अनुबंध-II

वर्ष 2014-2021 की अवधि के दौरान भारतीय/विदेशी पंजीकरण वाले जलयानों पर कार्य में लगे नाविकों के रोजगार का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	भारतीय/ विदेशी पंजीकरण जलयानों पर नियोजित नाविकों की संख्या
1	2014	1,17,090
2	2015	1,26,945
3	2016	1,43,940
4	2017	1,54,349
5	2018	2,08,799
6	2019	2,34,886
7	2020	2,24,478*
8	2021	2,05,787*

(* वर्ष 2020 तथा 2021 के दौरान रोजगार के अवसरों की यह मामूली कमी उन नाविकों के मामले में थी, जो क्रूज पोतों पर कार्यरत थे क्योंकि विश्वभर में कोविड-19 महामारी के कारण क्रूज क्षेत्र प्रचालन में नहीं था)

*****